न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 पंकूदेवी पत्नि भूबाराम जाति मेघवाल निवासी सिरोही 2 मंजूदेवी पत्नि तगाराम जाति मेघवाल निवासी सिरोही 3 वीसा पत्नि वीराराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही		राजस्थार राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.10.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2007 पंकूदेवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम सिरोही II के खसरा नम्बर 2383 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर वादीगण के रसाधिकारी का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया तथा उक्त वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किऐ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को कानूनन सही मानने एवं आंशिक स्वीकार करने के बावजूद सन्दर्भित धारा के तहत अपीलाण्ट के हक में खातेदारी घोषित नही कर जैर अपील आदेश के जरिये वाद को आंशिक अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर तनकीयात विनिश्चित नही करते हुए बिना किसी आधार के तथा प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य नही होने के बावजूद भी धारा 88 का अनुतोष प्रदान न कर मात्र धारा 188 राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष प्रदान किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वादी व उसके गवाहान के बयानों से वादी का वाद स्वीकार योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये विवादित आराजी बाबत खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा नही करने में भारी कानूनी भूल की है, जिससे इस हद तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त बतौर मालिक 30 वर्ष से भी अधिक समय तक शांतिर्पूण व लगातार कायम रहने के कारण प्रतिकूल कब्जा के सिद्धान्त के आधार पर भी वादीगण/अपीलाण्ट्स के विवादित आराजी पर मालिकाना अधिकार हो गए हैं, इन तथ्यों

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर मातहत अदालत द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए तनकीयात कायम कर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों तथा उसके आधार पर तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। लिहाजा अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सिरोही II के खसरा नम्बर 2383 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर स्व0 पीथाजी के समय से करीब 50 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषित कराने तथा उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया तथा प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर वाद में तीन तनकी कायम की गई, जिसमें से प्रथम तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था तथा द्वितीय तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–49 प्रस्तुत किए तथा मुख्य परीक्षण में मौखिक साक्ष्य भी परीक्षित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण कर तनकीवार विनिश्चय करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि आफ गोमाराम और अन्य बनाम अब्दुल वहीद में यह अभिनिर्धारित किया है कि "केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो।"हस्तगत प्रकरण पर यह सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होता है। उपरोक्त अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि जैर अपील आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी नही की है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2007 पंकूदेवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.12.17, को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली